

क्रमांक: प.5(53)आरएनसी/लेखा/विविध/2024/५५५

दिनांक: 21.08.2025

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि कौंसिल की विविध परीक्षाओं/स्कूटनी में नियुक्त परीक्षकों, पेपर सैटर्स, फ्लाइंग स्क्वायर्ड के सदस्यों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा पारिश्रमिक राशि, यात्रा भत्ता बिल, उत्तरपुस्तिकाओं की जांच/मूल्यांकन के बिल, स्कूटनी बिल, पेपर सेटिंग, व अन्य परीक्षा संबंधित सेवाओं के बिल समय पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, जिसके कारण ऐसे बिलों के कालातीत हो जाने पर अपेक्षित पूर्तियों को लेकर अनावश्यक ही समय व श्रम बर्बाद होता है। कतिपय परीक्षकों द्वारा तो ऐसे बिलों को कार्य पूर्ण हो जाने के लगभग 3 से 5 वर्ष बाद तक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसे बिलों का लेखा अनुभाग स्तर पर परीक्षण किया जाना दुष्कर हो जाता है तथा प्राप्त बिल के पूर्व में भुगतान नहीं होने की स्थिति को सुनिश्चित किया जाना भी मुश्किल हो जाता है।

अतः भुगतान की व्यवस्था को सरल, सुविधाजनक एवं सुदृढ़ बनाये जाने की दृष्टि से कौंसिल की विविध परीक्षाओं में विभिन्न प्रास्थितियों में नियुक्त नर्सिंग ट्यूटर्स को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा संबंधी कार्य के पूर्ण हो जाने के एक माह की समयावधि में अपने दावों के बिल आवश्यक रूप से प्रस्तुत करादे ताकि यथा समय परीक्षण उपरान्त ऐसे बिलों का भुगतान शीघ्रतम किया जाना संभव हो सकें। इस उपरान्त भी यदि नर्सिंग ट्यूटर्स द्वारा अपने दावों के बिल निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो उनके कौंसिल कार्यालय स्तर पर भुगतान में हुये विलम्ब के लिये भी स्वयं उत्तदायी होंगे।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक: प.5(53)आरएनसी/लेखा/विविध/2024/५५५

दिनांक: 21.08.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
- 2- प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा, आरएनसी, जयपुर।
- 3- प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा, आरएनसी, जयपुर।
- 4- प्रोग्रामर (अनुबन्ध) आरएनसी को कौंसिल कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- नोटिस बोर्ड कार्यालय।
- 6- रक्षित पत्रावली।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर